

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- टी.ए. 67/2022

पंजीयन दिनांक:- 19.10.2022

1. चन्द्रकला पत्नी स्व. गोतमपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. जयराज पिता गोतमपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
3. सुमित्रा पुत्री गोतमपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
4. पीना पुत्री गोतमपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
5. टीना पुत्री गोतमपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

-अपीलान्दगण

बनाम

1. जिला कलक्टर जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

-रेस्पोंडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
प्रकरण संख्या 28/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.08.2022


उपस्थित वक्त बहस

1. अजय कुमार पिछोलिया- अधिवक्ता अपीलान्दगण
2. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडन्टगण

निर्णय

दिनांक :- 31.01.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्दगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 रेस्पोंडन्टगण विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा गौतमेश्वर तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ की खाता सं. 168 में दर्ज आराजी नम्बर 41 रकबा 0.94 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 1.46 हैक्टेयर अवस्थित है जो कदीम से अपीलान्दगण प्रार्थीगण के पिता व पति गोतमपुरी निवासी अरनोद के खाते बहैसियत महन्त स्थान गौतमेश्वर दर्ज थी। उक्त कृषि आराजीयात गोतमपुरी के पूर्वजों को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर के छोटे महन्त के रूप में पुजनार्थ दे रखी थी। अपीलान्दगण प्रार्थीगण उनके वारिसान है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्दगण प्रार्थीगण ही कदीम से काबिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्पोंडन्ट सं. 2 ने अपीलान्दगण प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर वादग्रस्त कृषि आराजीयात में से अपीलान्दगण प्रार्थीगण के पिता गोतमपुरी का नाम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 का सहारा लेकर हटा दिया इस दौरान महन्त गोतमपुरी का देहान्त हो गया तत्पश्चात् उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप में जयराजपुरी को विराजित किया तब से अपीलान्दगण प्रार्थीगण ही वादग्रस्त कृषि आराजीयात का प्रबन्ध करते चले आ रहे हैं। वादपत्र व प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के दौरान ही रेस्पोंडन्ट सं.


राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2 ने अपीलान्त प्रार्थी जयराजपुरी को नोटिस धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलान्त सं. 2 जयराजपुरी प्रार्थी को दिनांक 11.06.2021 को देकर उक्त कृषि आराजीयात खाली करने को कहा गया। रेस्पोंडेन्टगण विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूलवाद के निरतारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलान्तगण प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि मन्दिर की कृषि आराजीयात से अतिक्रमण के मामले में पुजारियों की बेदखली नहीं की जाती है। पुजारियों को खातेदारों को प्राप्त कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। उभयपक्षों को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्तगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अपीलान्तगण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का नहीं होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।


अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्तगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

इस न्यायालय में अपीलान्तगण प्रार्थीगण की ओर से रेस्पोंडेन्टगण विपक्षीगण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण विपक्षीगण जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 विपक्षीगण जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्तगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 के विरुद्ध दिनांक 19.10.2022 को प्रथम अपील प्रस्तुत की जो म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्तगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होना मानते हुए अपीलान्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्तगण प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलान्तगण प्रार्थीगण ने रेस्पोंडेन्टगण विपक्षीगण के विरुद्ध मोजा गौतमेश्वर की जमाबन्दी में दर्ज आराजी नम्बर 41 रकबा 0.94 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 1.46 हैक्टेयर के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात पूर्व में महन्त गोतमपुरी को पुजनार्थ दे रखी थी नामान्तरण सं. 81 दिनांक 27.05.1992 द्वारा गोतमपुरी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर मन्दिर गौतमेश्वरजी स्थानदेह के नाम दर्ज कर दी जिससे अपीलान्तगण प्रार्थीगण का घोषणा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए रेस्पोंडेन्ट सं. 2 विपक्षी ने दिनांक 11.06.2021 को आराजी नम्बर 41 रकबा 0.94 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 42 रकबा 1.46 हैक्टेयर से बेदखल किये जाने का नोटिस जारी किया, जिससे अपीलान्तगण प्रार्थीगण की ओर से रेस्पोंडेन्टगण विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 23.06.2021 को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेन्टगण विपक्षीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व दस्तावेज राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की फोटो प्रति



राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रस्तुत की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुना जाकर अपीलान्वाण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर निरस्त किया है। उक्त कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 41 रकबा 0.94 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 1.46 हैक्टेयर कदीम से अपीलान्वाण प्रार्थीगण के पिता व पति गौतमपुरी के खाते में बहैसियत महन्त स्थान गौतमेश्वर दर्ज रही है। उक्त कृषि आराजीयात गौतमपुरी के पूर्वजों को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर के छोटे महन्त के रूप में पुजनार्थ दे रखी थी, फिर भी उक्त कृषि आराजीयात को गलत रूप से नामान्तरण सं. 81 स्वीकृत दिनांक 21.05.1992 द्वारा मन्दिर श्री गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज कर दी। मन्दिर के नाम दर्ज होने व मन्दिर शाश्वत नाबालिग होना, अपीलान्वाण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होना एवं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति अपीलान्वाण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्वाण विपक्षीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादग्रस्त कृषि आराजीयात वर्तमान में गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। गौतमेश्वरजी नाबालिग मूर्ति होकर शाश्वत नाबालिग है। अपीलान्वाण का यह कथन कि उक्त कृषि आराजीयात पूर्व में गौतमपुरी के पूर्वजों को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर के छोटे महन्त के रूप में पुजनार्थ दे रखी थी। अपीलान्वाण प्रार्थीगण गौतमपुरी के वारिसान है। उक्त तथ्यों को अपीलान्वाण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं करवाया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादग्रस्त कृषि आराजीयात गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना, अपीलान्वाण प्रार्थीगण को उक्त कृषि आराजीयात के दस्तावेजी साक्ष्यों से पुजारी / सेवायत प्रमाणित नहीं होना एवं अपीलान्वाण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलान्वाण प्रार्थीगण के विरुद्ध व रेस्पोंडेन्वाण विपक्षीगण के पक्ष में होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्वाण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्वाण प्रार्थीगण ने रेस्पोंडेन्वाण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 प्रस्तुत की जिसमें मोजा गौतमेश्वर की आराजी नम्बर 41 रकबा 0.94 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 1.46 हैक्टेयर मन्दिर गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्वाण प्रार्थीगण ने पुजनार्थ अपने पूर्वज गौतमपुरी को देना व अपीलान्वाण प्रार्थीगण गौतमपुरी के वारिसान होना बताते हुए वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षकारान को प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर विवादित कृषि आराजीयात मूर्ति नाबालिग श्री गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज होना व उन्हीं के कब्जे काश्त में होना, अपीलान्वाण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं होना, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोंडेन्वाण विपक्षीगण के पक्ष में होना मानते हुए अपीलान्वाण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र


 राजस्व आपात प्राधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)



निरस्त किया है। अपीलान्वाण प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे मन्दिर के पुजारी/सेवायत है। अपीलान्वाण प्रार्थीगण विवादित कृषि आराजीयात मे क्या अधिकार रखते है यह तथ्य मूलवाद मे साक्ष्य व सबूत से ही तय किये जा सकते है। उक्त तथ्यो के निर्धारण के लिये अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्वाण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विचाराधीन है, जिससे अपीलान्वाण प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है।


फलस्वरूप अपील अपीलान्वाण प्रार्थीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद के प्रकरण संख्या 28/2021 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।




(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़